न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 30 / 2016 (अपील)

1. श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल पुत्र महादेवलाल जर्ये प्रो0 महादेव स्टोन अमरपुरा चौराहा निवासी रामगंजमण्डी, तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा, राजस्थान

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 16.01.2014 मि0नं0 274 / 2013 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:–07.01.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 1066 , 1067 की 0.10 हे0 रास्ता व गे.मु.पठार में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 274 / 2013 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 50 / –एवं 4700 / –रूपये का शास्ति आदि एवं 90 दिवस का सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 16.01.2014 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 27.01.2016 को पेश की गई है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्ट से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1066,1067 रकबा 0.10 हे0 भूमि का मौके पर भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है और खसरा नम्बर 1066, 1067 रकबा 0.10 हे0 का मौके पर कोई वजूद नहीं है । केवल मात्र अभिलेखों की त्रुटि के कारण प्रार्थी अपीलांट को दण्डित किया गया है । उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अदालत मातहत ने उक्त आक्षेपित निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । अपील पेश करने का वाद कारण दिनांक 17.12.2015 को उत्पन्न हुआ जब पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा का सिपाही अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आ गया तब अपीलान्ट ने तहसील रामगंजमण्डी में जानकारी ली तब अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2014 की जानकारी हुई, अपीलान्ट ने उसी दिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपनी जमानत करवाकर अपील पेश करने हेतु मोहल्लत ली गई और तुरन्त नकल निर्णय लेकर रूपयों पैसों का इन्तजाम होने पर अपीलान्ट अविलम्ब यह अपील पेश कर रहा है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया किअपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता हे, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । हल्का पटवारी ने आज तक अपीलान्ट से कब्जे के बारे में कोई पूछताछ नहीं की है । अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1066,1067 रकबा 0.10 हे0 रास्ता व पठार भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धिति कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किया । इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2014 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 27.01 2016 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 16.01.2014 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 17.12.2015 को होना बताते हुऐ विलम्ब

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। इसलिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि रमेशचन्द खण्डेलवाल पुत्र महादेव लाल जर्ये प्रो0 महादेव स्टोन अमरपुरा चौराहा निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम रामगंजमण्डी की रास्ता व पठान भूमि खसरा नम्बर 1066,1067 रकवा 0.10 हैक्टेयर किस्म रास्ता व गै.मु.पठार में अनाधिकृत कब्जा कर कोट लगाया हुआ है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 50/– व 4700/– रूपये का जुर्माना आदि तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तथा जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार द्वारा की जावें, तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। यदि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र पेश नहीं करता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी ।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner